न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 22 / 2025	2025 / 32	08.01.2025	31.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. सुक्का पुत्र कन्नी जाति चमार सा. डढीकर, तहसील व जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–

01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी

–:निर्णयः–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम डढीकर, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 1907 / 2409 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी–2, ख0नं0 1978 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 2 किता 2 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 1907 / 2409 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी–2, ख0नं0 1978 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 2 किता 2 कुला रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डढीकर तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का तेहडपुर की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा न0 1907 / 2409 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी–2, ख0नं0 1978 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 2 किता 2 कुला रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डढीकर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु किया गया था। परन्तु, पटवारी हल्का तेहडपुर की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है और न ही उन्होंने भूमि पर कोई कृषि कार्य (काश्त) किया है। आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काश्त" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का तेहडपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024 के अनुसार विवादित आराजी खसरा न0 1907 / 2409 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी–2, ख0नं0 1978 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 2 किता 2 कुला रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डढीकर मौके पर गैर खातेदार आवंटी का कब्जा नहीं है एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त खसरे पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त की जा रही है एवं ग्रामवासीयान द्वारा यह अवगत कराया कि उक्त खसरे पर गैर–खातेदार का कब्जा नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व (भूमि आवंटन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काश्त कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम डढीकर, तहसील व जिला अलवर स्थित आराजी खसरा न0 1907/2409 रकबा 0.14 है0 किस्म बारानी–2, ख0नं0 1978 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी 2 किता 2 कुला रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (सुक्का पुत्र कन्नी) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)